



राजस्थान सरकार

निम्बाहेड़ा मास्टर प्लान

(2009—2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया जायेगा)

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान जयपुर


आभार

निम्बाहेडा कस्बे के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने व नगरीय विकास योजना को तैयार करने में कस्बे के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों संस्थाओं प्रबुद्ध नागरिकों तथा उन सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपना अमूल्य समय समर्पित किया है।

संभागीय आयुक्त उदयपुर, जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ तथा नगरपालिका निम्बाहेडा का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय-समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को संकलित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल-प्रदाय, शिक्षा, वन इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अन्त में, मैं सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में इस नगर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।



(अरुण चतुर्वेदी)
वरिष्ठ नगर नियोजक
उदयपुर जोन उदयपुर

योजना दल

श्री एच. एस. संचेती	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
श्री एन.के. खरे	अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर
श्री हरनाम सिंह आजाद	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री बी.एस. कानावत	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (जुलाई, 2010 तक)
श्री आर.सी. कविया	उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (जून 2006 तक)
श्री अरूण चतुर्वेदी	उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री मोहम्मद अय्यूब	उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान), मुख्यालय जयपुर
श्री राजेश वर्मा	सहायक नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (दिसम्बर, 2010 तक)
श्रीमती ऋतु शर्मा	सहायक नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर

अनुसंधान शाखा

श्री डी.सी. उपाध्याय	अनुसंधानकर्ता ग्रेड द्वितीय, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्रीमती आशा शर्मा	अनुसंधानकर्ता ग्रेड द्वितीय, मुख्यालय, जयपुर

मानचित्र शाखा

श्री मनमोहन कुमावत	वरिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री अब्दुल हफीज़	कनिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	कनिष्ठ प्रारूपकार, मुख्यालय, जयपुर
श्री विनोद सुखवाल	कनिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर

मंत्रालयिक शाखा

श्री रविशंकर सचदेवा	निजी सहायक, उदयपुर जोन, उदयपुर
---------------------	--------------------------------

तालिका-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, निम्बाहेड़ा- 1901-2009	8
2.	व्यावसायिक संरचना, निम्बाहेड़ा- 1991-2009	10
3.	विद्यमान भू-उपयोग, निम्बाहेड़ा- 2009	12
4.	औद्योगिक संरचना, निम्बाहेड़ा- 2009	15
5.	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, निम्बाहेड़ा- 2009	16
6.	जलापूर्ति, निम्बाहेड़ा- 2009	20
7.	विद्युत कनेक्शनों तथा उपभोग, निम्बाहेड़ा- 2009	21
8.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, निम्बाहेड़ा- 1981-2031	29
9.	प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना, निम्बाहेड़ा- 1991-2031	31
10.	योजना क्षेत्र, निम्बाहेड़ा- 2031	33
11.	प्रस्तावित भू-उपयोग, निम्बाहेड़ा- 2031	36
12.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, निम्बाहेड़ा- 2031	39
13.	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, निम्बाहेड़ा- 2031	45
14.	प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, निम्बाहेड़ा- 2031	49
15.	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, निम्बाहेड़ा- 2031	51

विषय-सूची

अध्याय क्रम	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	योजना दल	(i)
	तालिका-सूची	(ii)
1.0	परिचय	1
2.0	विद्यमान विशेषताएँ	4
2.1	भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	
2.2	क्षेत्रीय परिपेक्ष्य	
2.3	ऐतिहासिक	
2.4	जनांकिकी	
2.5	व्यावसायिक संरचना	
2.6	विद्यमान भू-उपयोग	
2.6 (1)	आवासीय	
2.6 (1) अ	आवासन	
2.6 (1) ब	कच्ची बस्तियाँ	
2.6 (2)	वाणिज्यिक	
2.6 (3)	औद्योगिक	
2.6 (4)	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	
2.6 (5)	आमोद-प्रमोद	
2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ	

2.6 (6) अ	शैक्षणिक सुविधाएँ	
2.6 (6) ब	चिकित्सा सुविधाएँ	
2.6 (6) स	सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	
2.6 (6) द	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	
2.6 (6) य	जनोपयोगी सुविधाएँ	
2.6 (6) य	(i) जलापूर्ति	
2.6 (6) य	(ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	
2.6 (6) य	(iii) विद्युत	
2.6 (6) र	श्मशान एवं कब्रिस्तान	
2.6 (7)	परिसंचरण	
2.6 (7) अ	यातायात व्यवस्था	
2.6 (7) ब	बस एवं ट्रक टर्मिनल	
2.6 (7) स	रेल सेवा	
3.0	नियोजन की संकल्पना	24
3.1	नियोजन की नीतियाँ	
3.2	नियोजन के सिद्धान्त	
4.0	भावी आकार	29
4.1	जनांकिकी	
4.2	प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना	
4.3	नगरीय क्षेत्र	

4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	
4.5	योजना क्षेत्र	
	(अ) पुराना शहर योजना क्षेत्र	
	(ब) महाविद्यालय व जे.के. सीमेण्ट वर्क्स योजना क्षेत्र	
	(स) कासोद योजना क्षेत्र	
	(द) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	
5.0	भू-उपयोग योजना	35
5.1	आवासीय	
5.2	वाणिज्यिक	
5.2 (1)	शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	
5.2 (2)	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)	
5.2 (3)	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	
5.2 (4)	गोदाम एवं भण्डारण	
5.3	औद्योगिक	
5.4	राजकीय	
5.4 (1)	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	
5.4 (2)	राजकीय आरक्षित	
5.5	आमोद-प्रमोद	
5.5 (1)	उद्यान, खुले स्थल, खेल मैदान एवं स्टेडियम	
5.5 (2)	अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन	
5.5 (3)	मेले/पर्यटन सुविधाएँ	

- 5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ
 - 5.6 (1) शैक्षणिक सुविधाएँ
 - 5.6 (2) चिकित्सा सुविधाएँ
 - 5.6 (3) सामाजिक / सांस्कृतिक
 - 5.6 (4) धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल
 - 5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ
 - 5.6 (6) जनोपयोगी सुविधाएँ
 - 5.6 (6) अ जलापूर्ति
 - 5.6 (6) ब जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
 - 5.6 (6) स विद्युत
 - 5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान
- 5.7 परिसंचरण
 - 5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना
 - 5.7 (1) अ सड़कों का सुधार
 - 5.7 (1) ब प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार
 - 5.7 (1) स फ्लाई ओवर
 - 5.7 (1) द पार्किंग व्यवस्था
 - 5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल
- 5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

- 6.1 प्रस्तावित आधार
- 6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग
- 6.3 भू-उपयोग एवं भूमि अवाप्ति
- 6.4 उपसंहार
- 6.5 क्रियान्वयन परियोजना

परिशिष्ट –

- 1 (अ) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण
- 1 (ब) राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
- 2 राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.07.2009

1

परिचय

परिचय

निम्बाहेड़ा कस्बा जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से 28 कि.मी. दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। यह उपखण्ड मुख्यालय है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 एवं 113 चित्तौड़गढ़-रतलाम ब्राडगेज रेलवे लाइन पर स्थित होने से यह कस्बा राज्य के अन्य शहरों से भली प्रकार जुड़ा हुआ है। यह कस्बा अपने क्षेत्र (Region) में सेवा केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। इस कस्बे में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां भी मुख्य क्रियाकलाप है।

इस कस्बे का उद्भव नीम एवं बहेड़ा वृक्षों के सघन क्षेत्र में एक छोटी सी बस्ती के रूप में हुआ था। यह बस्ती मथुरा से चित्तौड़गढ़ होते हुए उज्जैन तथा माण्डू जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित थी जिसके कारण धीरे धीरे यह बस्ती एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित होती रही। लूटेरों के आक्रमण से यह बस्ती कई बार ध्वस्त हो गयी थी। महाराणा सांगा (सन् 1509-1520) के शासन काल में इस बस्ती का अच्छा विकास हुआ था। महारानी अहिल्या बाई होल्कर ने सन् 1774 में निम्बाहेड़ा कस्बा मेवाड़ राज्य से छीन लिया था। इसी दौरान कस्बे की चार दिवारी बनवाई गयी जिसमें चार दरवाजे बनवाये गये। सन् 1817 से कस्बे में शान्ति एवं स्थायित्व रहा जब इस कस्बे को टोंक रियासत का परगना मुख्यालय घोषित किया गया था। सन् 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के समय अग्रेजों ने कस्बे पर कब्जा जमा लिया था। सन् 1881 में अजमेर खण्डवा रेलवे लाइन के बनने से कस्बे के विकास को तीव्रगति मिली तथा यह कस्बा टोंक रियासत का जिला मुख्यालय बनाया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1950 तक चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय घोषित होने तक निम्बाहेड़ा कस्बा जिला मुख्यालय बना रहा था। सन् 1965 में यहां कृषि मंडी स्थापित की गई तथा वर्ष 1974 में जे.के. सीमेन्ट फेक्ट्री स्थापित की गई।

नगर नियोजन विभाग द्वारा निम्बाहेड़ा सहित 7 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 1981 में नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया तथा वर्ष 1985 के आधार पर क्षितिज वर्ष 2006 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त मास्टर प्लान की समयावधि दिसम्बर 2009 तक बढ़ाई गई थी, समयावधि पूर्ण होने से निम्बाहेड़ा सहित 19 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नए नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश प्रदान किए जाने के फलस्वरूप यह मास्टर प्लान भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण कर वर्ष 2009–2031 तक के लिए तैयार किया गया है।

निम्बाहेड़ा कस्बा चित्तोड़गढ़ जिले का तीव्र गति से विकसित होने वाला शहर है। यह मेवाड़ का व्यापारिक केन्द्र रहा है।

वर्ष 1901 में यहां की जनसंख्या मात्र 5,446 थी जो 1931 में 5946 तथा 1981 में 27,763 हो गई। वर्ष 2001 में कस्बे की जनसंख्या 53,327 हो गई। पिछले दशकों में सर्वाधिक वृद्धि दर 67.83 प्रतिशत 1971–81 के दशक में आंकी गई जिसका प्रमुख कारण जे.के. सीमेन्ट उद्योग की स्थापना रहा है। 1991–2001 के दशकों के दौरान कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी आई जो 1981–91 दशक में 50.96 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि दर घटकर 27.25 प्रतिशत रह गई।

वर्तमान में कस्बे का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 1680 एकड़ है। कस्बे का विकास बेतरतीब एवं अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। पुरानी बस्तियों में तंग सड़कें, नियोजित जंक्शन, अनियोजित एवं अव्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों के विकास के साथ-साथ ही इन क्षेत्रों में आधारभूत जन-सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहां अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर छितराये रूप में आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी मूलतः जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है एवं गंदे पानी की निकासी एवं जलप्रवाह प्रणाली की भी पूर्णतया कमी है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी आदि को देखते

हुये कस्बे के सुनियोजित तरीके से विकास की आवश्यकता है। इसी आशय को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 31-7-2009 को अधिसूचना जारी कर निम्बाहेड़ा सहित 19 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को कस्बे का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया। नगर नियोजन विभाग द्वारा पूर्व के मास्टर प्लान के परिपेक्ष में ही निम्बाहेड़ा कस्बे का भौतिक तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा द्वितीय स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ संकलित कर मानचित्रों और विस्तृत आलेखों का रूप प्रदान किया गया जो इस मास्टर प्लान तैयारी की आधारशिला बने एवं तदनु रूप निम्बाहेड़ा के मास्टर प्लान का अन्तिम रूप दिया गया। यह योजना आगामी 22 वर्षों की अवधि में विभिन्न नगरीय विकास कार्यों के संबंध में आधारभूत आवश्यकताओं का एक प्रारूप प्रस्तुत करती है। योजना अवधि वर्ष 2031 तक के लिए निर्धारित की गयी है। इस योजना प्रारूप में नगर मानचित्र, सामान्यीकृत विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र 2009, प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र 2031 एवं अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र सम्मिलित किये गये हैं।

नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 दिवस की समयावधि में आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप दिनांक 14-3-2010 को प्रकाशित किया गया है एवं नगर पालिका निम्बाहेड़ा में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मास्टर प्लान के प्रारूप पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के आशय की अधिसूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। मास्टर प्लान के प्रारूप की प्रतियां सभी सम्बन्धित विभागों, जन प्रतिनिधियों, नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों को भी आपत्ति/सुझावों के लिये भेजी गयी।

निम्बाहेड़ा के मास्टर प्लान के प्रारूप पर कुल 100 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। जिनके अन्तर्गत कुल 187 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी

आपत्ति/सुझावों का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण कर जांच के उपरान्त 28 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 19 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 74 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य एवं 66 आपत्ति/सुझावों में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार निम्बाहेड़ा मास्टर प्लान एवं भू-उपयोग योजना मानचित्र में स्वीकृत, आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझावों के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुए मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(एन.के. खरे)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर

२

विद्यमान विशेषताएँ

विद्यमान विशेषताएं

निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले का एक विकासशील कस्बा है। यह कस्बा राजस्थान राज्य के दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगता हुआ स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जिले का प्रमुख उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है। यह कस्बा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 (चित्तौड़गढ़-नीमच रोड) पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 (निम्बाहेड़ा-बांसवाड़ा रोड) तथा प्रमुख जिला मार्ग 11-ए (निम्बाहेड़ा- मंगलवाड़) इसी कस्बे से शुरू होते हैं। इस कस्बे का पश्च्य क्षेत्र (Hinter land) कृषि प्रधान है एवं यहा प्रचुर मात्रा मे चूना पत्थर के भण्डार उपलब्ध है। समतल धरातल एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त यह कस्बा उत्तर में चित्तौड़गढ़ एवं दक्षिण में नीमच आदि शहरों से भली भांति सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु :

यह कस्बा मालवा पठार के पश्चिमी भाग में 24⁰37' उत्तरी अक्षांश तथा 74⁰42' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। आसपास के क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता तथा उपजाऊ कृषि भूमि इस कस्बे को विशेष महत्व प्रदान करती है। मालवा तथा मेवाड़ के जंक्शन बिन्दु पर स्थित होने के कारण यह बहुत अच्छी पहुंच (approch) रखता है।

कस्बे की जलवायु सामान्यतः शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में यहां का अधिकतम तापमान लगभग 42⁰ सेलसियस तथा शरद ऋतु में 25⁰ सेलसियस रहता है। यहां औसत वार्षिक वर्षा 86 से.मी. रहती है।

2.2 क्षेत्रिय परिपेक्ष्य :

यह कस्बा स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व टोंक रियासत का जिला मुख्यालय रहा है। सन् 1950 में जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ घोषित होने के बाद से यह कस्बा उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है। उपखण्ड मुख्यालय के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा तथा भदेसर पंचायत समितियां हैं। अपनी सहायक नदियों के साथ इस क्षेत्र की मुख्य जलधारा गम्भीरी नदी है, जिसकी उपधारा कदमाली नदी निम्बाहेड़ा कस्बे के पास दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। निम्बाहेड़ा कस्बा चित्तौड़गढ़-लाइमस्टोन बेल्ट पर बसा है, जो मध्यप्रदेश तक फैली हुई है। कस्बे के आसपास का धरातल समतल होने के कारण पैदावार की दृष्टि से समृद्ध है। यहां की मुख्य पैदावार मूंगफली, मक्का, अलसी तथा दलहन है। जिससे आसपास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

2.3 ऐतिहासिक :

इस क्षेत्र में नीम एवं बहेड़ा वृक्षों की बहुतायत के बीच निम्बाहेड़ा नामक एक छोटी बस्ती के रूप में कस्बे का उद्भव हुआ था। मथुरा से उज्जैन तथा माण्डू वाया चित्तौड़गढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण इस कस्बे का तीव्र विकास हुआ तथा कस्बे ने एक मुख्य नगरीय व्यापारिक केन्द्र का रूप ग्रहण किया। इतिहास साक्षी है कि समय समय पर लुटेरों के आक्रमण से यह बस्ती उजड़ती रही। महाराणा सांगा (सन् 1509-1520) के शासन काल में इस कस्बे का विशेष विकास हुआ। इस अवधि में कस्बे में विभिन्न जातियों के मोहल्ले विकसित हुए। 'नानक्या बाजार' नामक एक बाजार भी इसी समयावधि में विकसित हुआ जो आज भी जीवन्त है। दो शताब्दियों तक कस्बे में विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन के कारण कस्बे की जनसंख्या एवं स्वरूप में अनेक उतार चढ़ाव आये। अन्ततः सन् 1774 में महारानी अहिल्या बाई होल्कर ने मेवाड़ से निम्बाहेड़ा को छीन लिया। कस्बे को सुरक्षित रखने हेतु शहर कोट बनवाई गई जिसमें

विभिन्न दिशाओं में चार दरवाजे यथा जावद दरवाजा, रानी खेड़ा दरवाजा, कासोद दरवाजा तथा चित्तौड़ी दरवाजा बनवाये गये। जनसंख्या विस्तार के कारण सन् 1882 में शहर कोट का भी विस्तार किया गया। सन् 1817 में टोंक रियासत का परगना मुख्यालय घोषित होने के बाद कस्बे में स्थायित्व एवं शान्ति रही। सन् 1857 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के समय हुए विद्रोह में ब्रिटिश सेना ने जावद दरवाजे को तोड़ कर कस्बे पर कब्जा कर लिया। परिणामतः सन् 1860 में इसे टोंक रियासत में मिला दिया गया। सन् 1881 में बी.बी. एण्ड सी.आई. रेलवे की अजमेर-खण्डवा शाखा के आगमन के बाद सन् 1919 में रेलवे लाइन के साथ साथ शहर कोट को विस्तारित किया गया, जिसमें मोती बाजार एवं उसके आसपास की बस्तियों को मिलाया गया तथा मोतीगेट नामक एक नया दरवाजा भी बनाया गया। सन् 1900 में काटन जिनिंग फैक्ट्री भी स्थापित की गई।

टोंक रियासत का जिला मुख्यालय बनने के बाद कस्बे में बहुत अच्छा विकास हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान राज्य बनने के बाद भी निम्बाहेड़ा जिला मुख्यालय बना रहा, जिसमें निम्बाहेड़ा, डूंगला, भदेसर, कपासन, राशमी, चित्तौड़गढ़ तथा कनेरा तहसीलें सम्मिलित थी। सन् 1950 में जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ स्थानान्तरित हुआ जिसका कस्बे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथापि कस्बे के आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर कस्बे के आकार एवं अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे वृद्धि हुई है।

निम्बाहेड़ा के पश्च्य क्षेत्र में कृषि संसाधन के मध्यनजर सन् 1965 में कस्बे में एक नियमित मण्डी प्रांगण स्थापित किया गया। सन् 1974 में जे.के. सीमेन्ट फेक्ट्री स्थापित की गई जिसने कस्बे के तीव्र विकास को एक नई दिशा दी। अनेक लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई तथा रीको द्वारा लगभग 70 एकड़ में एक

नियोजित औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप गत चार दशाब्दियों (1961–2001) में कस्बे की जनसंख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

2.4 जनांकिकी :

बीसवी शताब्दी के प्रथम चार दशकों में कस्बे में अनेक उतार-चढ़ाव आये। 1941 तक इस कस्बे का विकास सामान्यतः अवरूद्ध सा ही रहा। जिसका मुख्य कारण इस कस्बे के आसपास के क्षेत्र में कृषि एवं खनिज संसाधनों का उचित रूप से सदुपयोग नहीं होना है। स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग की सरकार की नीति के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से इस कस्बे में विकास की गति तीव्र हुई है। पिछली शताब्दी के अन्तिम चार दशकों में कृषि उपज मण्डी, जे.के. सीमेन्ट फेक्ट्री तथा रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के कारण कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अच्छी रही है।

कस्बे की वर्ष 1901 में जनसंख्या 5446 थी। वर्ष 1941 तक के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम रही है। 1901–1911 की अवधि में जनसंख्या में कमी का मुख्य कारण तत्कालीन समय में सम्पूर्ण राजपूताना (मेवाड़) में व्याप्त प्रतिकूल जलवायु और महामारियों को माना जाता है। वर्ष 1941 के बाद कस्बे की आबादी की वृद्धि दर अच्छी रही है।

वर्ष 1951 में कस्बे की जनसंख्या 10585 हो गई एवं इस दशक में वृद्धि दर 53.45 प्रतिशत रही। वर्ष 1961 में जनसंख्या 11655 थी तथा इस दशक में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम (10.11 प्रतिशत) दर्ज की गई थी। 1971–81 दशक में 67.83 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर रही थी जो अब तक के दशकों में सर्वाधिक रही है। जिसका मुख्य कारण कस्बे में जे.के. सीमेन्ट फेक्ट्री तथा रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना है। वर्ष

1901 से 2001 तक जनसंख्या वृद्धि करीब दस गुना हो गई है। निम्बाहेड़ा कस्बे की जनसंख्या एवं वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका-1 में दर्शाया गया है :

तालिका -1

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, निम्बाहेड़ा 1901-2009

वर्ष	जनसंख्या	दशक अन्तर	प्रतिशत वृद्धिदर
1901	5446	—	—
1911	4278	— 1168	— 21.45
1921	5141	+ 863	+ 20.17
1931	5946	+ 805	+ 15.66
1941	6898	+ 952	+ 16.01
1951	10585	+ 3687	+53.45
1961	11655	+ 1070	+ 10.11
1971	16542	+ 4887	+ 41.93
1981	27763	+ 11221	+ 67.83
1991	41921	+ 14145	+ 50.96
2001	53327	+ 11419	+ 27.25
2009	67157*	+ 13830	+ 25.30

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं नगर नियोजन विभाग अनुमान *

2.5 व्यावसायिक संरचना :

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार निम्बाहेड़ा कस्बे में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 29.95 प्रतिशत व वर्ष 1991 में 29.04 प्रतिशत था। यह अनुमान है कि वर्ष 2009 में यह सहभागिता अनुपात 29.90 प्रतिशत रहा है। तालिका-2 के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित वर्षों में केवल मात्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, अन्य सेवाओं तथा कृषि एवं खनन सम्बन्धी क्रियाओं में ही कार्य करने वालों की सहभागिता अधिक रही है। इन कार्यों में ही कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक रहा है। इसका कारण स्पष्ट है कि निम्बाहेड़ा एक औद्योगिक केन्द्र होने के साथ साथ अपने पश्च्य क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है तथा इसका आर्थिक आधार उद्योग के अलावा व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां है। तालिका-2 से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009 में औद्योगिक गतिविधियों में 6068 व्यक्ति कार्यरत थे, जो कुल काम करने वालों का 30.22 प्रतिशत है। निम्बाहेड़ा में व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1991 में 2535 थी, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 4217 हो गयी है जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। अन्य सेवाओं में कार्यरत 1991 में 2246 व्यक्ति थे जो 2009 में बढ़कर 3903 व्यक्ति हो गये हैं। तालिका-2 में वर्ष 1991 तथा 2009 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है :-

तालिका- 2

व्यावसायिक संरचना निम्बाहेडा 1991-2009

क्र.सं.	व्यवसाय	वर्ष 1991		वर्ष 2009*	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि, एवं खनन, संबंधित क्रियाएं	2215	18.19	3159	15.73
2	उद्योग	3637	29.87	6068	30.22
3	निर्माण	623	5.12	1205	6.00
4	व्यापार एवं वाणिज्य	2535	20.82	4217	21.00
5	परिवहन एवं संचार	919	7.55	1528	7.61
6	अन्य सेवाएं	2246	18.45	3903	19.44
	योग	12175	100.00	20079	100.00
	सहभागिता अनुपात		29.04		29.90

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं नगर नियोजन विभागीय अनुमान*

2.6 विद्यमान भू-उपयोग :

निम्बाहेड़ा कस्बे का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 1680 एकड़ है। इस नगरीयकृत क्षेत्र में से केवल 1324 एकड़ ही वास्तविक रूप से विकसित क्षेत्र है और शेष 356 एकड़ रिक्त एवं कृषि भूमि है।

निम्बाहेड़ा कस्बे में जो भी पुराना विकास हुआ है, वह अनियोजित एवं यदृच्छरूप (Scattered) में हुआ है। नगर पालिका द्वारा विकसित कालोनियों जे.के. सीमेण्ट उद्योग परिसर एवं रिको के विकसित औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश विकास अनियोजित है। पुराना कस्बा उच्च घनत्व वाला, अव्यवस्थित एवं सर्पाकार तंग गलियों के साथ बसा हुआ है जहां 'खुले स्थलों' का अभाव है। बाहरी क्षेत्र कम घनत्व वाला है। वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य सड़कों एवं गलियों के साथ संचालित हो रही है। जहां पार्किंग व्यवस्था नहीं है। कस्बे में आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास हो रहा है लेकिन सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास एवं विस्तार वांछित योजना मानदण्डों के अनुपात से नहीं होने के फलस्वरूप ये सुविधाएँ अपर्याप्त ही नहीं अपितु नगण्य है। कस्बे में नालियां खुली एवं अनुपयुक्त होने के कारण वर्षा ऋतु का पानी प्रायः सड़कों पर एकत्रित हो जाता है। परिसंचरण व्यवस्था भी बहुत अव्यवस्थित है तथा पुराने कस्बे में आवागमन तथा यातायात के लिए वांछित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार उपलब्ध न होकर सर्पाकार तथा आड़ी-तिरछी तंग गलियां ही उपलब्ध है।

निम्बाहेड़ा एक औद्योगिक केन्द्र है, जिसमें औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत 252 एकड़ भूमि है। कस्बा उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगों के अन्तर्गत क्रमशः 22 तथा 121 एकड़ भूमि है। 242 एकड़ भूमि परिसंचरण उपयोग में है। व्यापार एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के अन्तर्गत 99 एकड़ भूमि है। तालिका 3 में विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2009 दर्शाया गया है :

वर्तमान भू-उपयोग निम्बाहेड़ा 2009

क्र. सं.	भू- उपयोग	वर्ष 2009		
		क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	548	41.38	32.62
2	वाणिज्यिक	99	7.48	5.90
3	औद्योगिक	252	19.03	15.00
4	राजकीय	22	1.68	1.31
5	आमोद प्रमोद	40	3.02	2.38
6	सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक	121	9.14	7.20
7	परिसंचरण	242	18.27	14.40
	कुल विकसित क्षेत्र	1324	100.00	78.81
8	रिक्त एवं कृषि भूमि	356	—	21.19
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	1680	—	100.00

स्रोत : नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2.6 (1) आवासीय :

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कस्बे की कुल जनसंख्या 41921 थी, जो बढ़ कर वर्ष 2001 में 53327 तथा वर्ष 2009 में 67157 हो गयी। कस्बे में वर्ष 1991 में कुल परिवारों की संख्या 8038 थी। वर्तमान में लगभग 25000 व्यक्ति पुरानी आबादी

(शहर) में निवास करते हैं, जिसका आवासीय घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति एकड़ है। कहीं कहीं यह घनत्व इससे भी अधिक है। वर्तमान में कुल 1324 एकड़ विकसित क्षेत्र के भूभाग में से 548 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 41.38 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 2009 की जनसंख्या के अनुसार कस्बे का औसत आवासीय घनत्व लगभग 123 व्यक्ति प्रति एकड़ है। कस्बे में पुरानी आबादी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

2.6(1) अ आवासन :

निम्बाहेड़ा कस्बे की पुरानी आबादी बस्ती में अधिकांश मकानात पक्के बने हुए हैं, जो दो मंजिल तक के हैं। बाजार एवं इसके आसपास के मकान तीन या चार मंजिल के भी बने हुए हैं।

2.6 (1) ब कच्ची बस्तियां :

नगर पालिका क्षेत्र में चार कच्ची बस्तियां—कासोद कच्ची बस्ती, बंजारा कच्ची बस्ती, लोटा भेरू कच्ची बस्ती तथा प्रजापत कालोनी कच्ची बस्ती बसी हुई है। इन चार कच्ची बस्तियों में लगभग 625 परिवार रह रहे हैं। इन कच्ची बस्तियों के आने से कस्बे का पर्यावरण दूषित हो रहा है। इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है।

2.6(2) वाणिज्यिक :

निम्बाहेड़ा कस्बा उपखण्ड मुख्यालय एवं जिले का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है। स्वतन्त्रता पूर्व से ही यहां पर व्यवस्थित आर्थिक विकास के कारण वाणिज्यिक गतिविधियां तेजी से विकसित हुई हैं। पिछले दशकों में व्यापार एवं वाणिज्यिक के क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुराना शहर आबादी क्षेत्र ही यहां की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है तथा यहां पर फुटकर एवं थोक व्यापार होता है। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत तक सदर बाजार एवं नानक्या बाजार यहां के

मुख्य बाजार थे। गत शताब्दी में मोती बाजार, नया बाजार, नवाबगंज, माल गोदाम रोड, सुभाष चौक सब्जी मंडी, शास्त्री मार्केट, उदयपुर रोड केंची चौराहा, बस स्टेण्ड मंडी चौराहा, आदर्श कालोनी कामर्शियल सेन्टर, लखारा गली, राजेन्द्र चौक एवं दशहरा मैदान रोड आदि नये मार्केट विकसित हुए हैं। नये व्यापारिक बाजार मुख्यतः उदयपुर रोड एवं छोटी सादड़ी रोड पर विकसित हो रहे हैं। कस्बे के कुल 1324 एकड़ विकसित क्षेत्र में से 99 एकड़ वाणिज्यिक भू उपयोग के अन्तर्गत है, जो लगभग 7.48 प्रतिशत है। कृषि जिनसों का थोक एवं खुदरा व्यापार 17 एकड़ क्षेत्र में विकसित कृषि उपज मंडी प्रांगण में होता है। अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुख्यतः जनरल स्टोर, कपड़े, परचून एवं इलेक्ट्रीक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें प्रमुख हैं। छोटी सादड़ी रोड पर राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा गोदाम विकसित किये गये हैं।

2.6(3) औद्योगिक :

कस्बे में सन् 1900 के आसपास स्थापित काटन जिनिंग फैक्ट्री प्रथम औद्योगिक इकाई है। इसके बाद उत्तरोत्तर विकास करते हुए वर्ष 2009 तक कस्बे में 404 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। जे.के. गुप आफ इण्डस्ट्रीज द्वारा वर्ष 1974 में कस्बे के उत्तरी भाग में सीमेन्ट प्लांट स्थापित किया गया है। रीको द्वारा छोटी सादड़ी रोड पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, जिसमें स्टोन इन्डस्ट्रीज ही मुख्यतः स्थित है।

निम्बाहेड़ा में सीमेन्ट प्लांट स्थापित होने के बाद गत चार दशकों में औद्योगिकीकरण का तीव्र विकास हुआ है। वर्ष 1961 में कस्बे में केवल 195 औद्योगिक इकाइयां थी, जो वर्ष 1971 में बढ़कर 205 तथा वर्ष 1981 में बढ़कर 353 हो गयी थी। निम्बाहेड़ा कस्बे में वर्ष 2009 में 404 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें से गृह एवं सेवा उद्योग में 139 इकाइयां, लघु उद्योग में 263 इकाइयां तथा मध्यम उद्योग एवं वृहत उद्योग में एक-एक इकाई कार्यरत है। औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में 252 एकड़ भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 19.03 प्रतिशत है। कस्बे की औद्योगिक संरचना तालिका-4 में दर्शायी गई है :

तालिका – 4

औद्योगिक संरचना–निम्बाहेड़ा 2009

क्र. स.	प्रकार	औद्योगिक इकाईयां	
		संख्या	प्रतिशत
1	गृह उद्योग एवं सेवा उद्योग	139	34.40
2	लघु उद्योग	263	65.10
3	मध्यम उद्योग	1	0.25
4	वृहत उद्योग	1	0.25
	योग	404	100.00

स्रोत :- जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़

2.6(4) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय :

कस्बे के उपखण्ड मुख्यालय होने से राजकीय एवं अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों ने नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में निम्बाहेड़ा में 34 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय है जिनमें 986 कर्मचारी नियोजित है। कस्बे में 3 केन्द्र सरकार, 19 राज्य सरकार तथा 12 अर्द्ध राजकीय कार्यालय है। वर्तमान में इन कार्यालयों में से 28 सरकारी भवनों में एवं 6 किराये के भवनो में संचालित होते हैं। कुल नियोजित कर्मचारियों में से 93 कर्मचारी केन्द्र सरकार के कार्यालयों में 432 कर्मचारी राज्य सरकार के कार्यालयों में तथा 461 कर्मचारी अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में नियोजित है। कुल नियोजित कामगारों में फिल्ड कर्मचारी भी सम्मिलित है। तालिका-5 में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय एवं कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है :

तालिका – 5

सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, निम्बाहेड़ा-2009

क्र. स.	कार्यालय का प्रकार	कुल कार्यालय	कर्मचारियों की संख्या	
			कार्यालय कर्मचारी	फिल्ड कर्मचारी
1	केन्द्र सरकार के कार्यालय	3	34	59
2	राज्य सरकार के कार्यालय	19	256	176
3	अर्द्ध सरकारी कार्यालय	12	223	238
	योग	34	513	473

स्रोत :- नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2.6(5) आमोद-प्रमोद :

निम्बाहेड़ा कस्बे में दो पार्क स्थित है, जिनमें से एक नोवल्ली टाकीज के पास तथा दूसरा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के पास स्थित है। कस्बे में स्थित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों एवं शासकीय समारोह हेतु उपयोग में लिया जाता है। कॉलेज ग्राउण्ड तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) खेल मैदान खेलकूद गतिविधियों के काम में आते है। दशहरा मैदान नामक खुला क्षेत्र कस्बे के दक्षिण में स्थित है, जिसमें प्रतिवर्ष नवरात्री के दौरान बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 40 एकड़ भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 3.02 प्रतिशत है।

2.6(6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2009 में 121 एकड़ भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 9.14 प्रतिशत है। वर्ष 1961 के पश्चात कस्बे की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है परन्तु इस दौरान वांछित योजना मानदंडों की अनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार एवं विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त ही नहीं वरन दयनीय स्थिति में है।

2.6(6) अ शैक्षणिक सुविधाएं :

वर्ष 2009 में निम्बाहेड़ा में 20 प्राथमिक विद्यालय है, जिनमें से 6 राजकीय एवं 14 मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय है। इन विद्यालयों में 987 विद्यार्थी अध्ययनरत है। कस्बे में 31 उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिनमें से 11 राजकीय एवं 20 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है। इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 5459 विद्यार्थी अध्ययन करते है। माध्यमिक स्तर के 13 विद्यालय (1 राजकीय तथा 12 निजी) है, जिनमें 2329 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। सीनियर सेकन्दरी स्तर के दो राजकीय विद्यालय कस्बे में है, जिनमें निम्बाहेड़ा एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 2023 विद्यार्थी अध्ययनरत है। मान्यता प्राप्त अधिकांश विद्यालय निजी भवनों में है, जहां खेलकूद हेतु पर्याप्त मैदान उपलब्ध नहीं है।

कस्बे में महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु 30 एकड़ क्षेत्रफल में डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय कार्यरत है, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 336 छात्र एवं 394 छात्राएं अध्ययनरत है। तकनीकी शिक्षा हेतु निम्बाहेड़ा में एक निजी आई.टी.आई. है, जो मेसर्स जे.के. इन्डस्ट्रीज के अन्तर्गत कार्यरत है। कस्बे में निजी कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कई लघु दर्जे के संस्थान संचालित है।

2.6(6) ब चिकित्सा सुविधाएं :

निम्बाहेड़ा में राजकीय चिकित्सालय उदयपुर रोड पर स्थित है जो वर्ष 2009 में सामान्य चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ है। इसमें 100 शैयाओं की सुविधा उपलब्ध है। कस्बे में 'अ' श्रेणी का एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत है जिसमें 5 शैयाएं उपलब्ध है। एक होम्योपैथिक/यूनानी औषधालय भी कस्बे में कार्यरत है। निजी क्षेत्र में कस्बे में छः चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी नागरिकों को सुविधा प्रदान करते हैं जिनमें 54 शैयाओं की सुविधा उपलब्ध है। निम्बाहेड़ा में एक पशु चिकित्सालय कार्यरत है, जो मण्डी परिसर में स्थित है।

2.6(6) स सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल :

निम्बाहेड़ा कस्बे में द्वारिकाधीश मंदिर (नगर पालिका के पास), लक्ष्मीनाथ मंदिर (जाटों की कुइया के पास), हनुमान मंदिर (सब्जी मण्डी चौराया), राधा किशन मंदिर (जे.के. परिसर), रामेश्वर महादेव मंदिर(आदर्श कालोनी), सत्यनारायण मंदिर (कासोद गेट), ढाबेश्वर महादेव (दशहरा मैदान) तथा अम्बामाता मंदिर मुख्य हिन्दू मंदिर है। कस्बे की मस्जिदों में जावद दरवाजा मस्जिद तथा ईदगाह मस्जिद (आजाद चौक) प्रमुख है।

कस्बे में ऐतिहासिक स्मारक के रूप में परकोटा तथा उसके प्रमुख द्वार यथा चित्तौड़ी दरवाजा तथा मोतीगेट अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं।

दशहरा मेला, जो प्रति वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक नवरात्री के दौरान आयोजित किया जाता है जो निम्बाहेड़ा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेला है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्वों पर सभी समुदायों द्वारा धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

2.6(6) द अन्य सामुदायिक सुविधाएं :

निम्बाहेड़ा कस्बे में वर्तमान में एक क्लब (लायन्स क्लब) संचालित है, जो आदर्श कालोनी में स्थित है, जिसके मुख्यतः उच्च आय वर्ग के सीमित परिवार तथा राज्य कर्मचारी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त कस्बे में विभिन्न स्वयं सेवी संगठन कार्यरत हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय/वाचनालय नगर पालिका द्वारा संचालित होता है जो नगर पालिका कार्यालय के पास स्थित है। इसमें विभिन्न पुस्तकें, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र अध्ययन हेतु उपलब्ध होते हैं। कस्बे में एक मुख्य डाकघर आदर्श कालोनी में तथा उपडाकघर जे.के. कालोनी में संचालित है। कस्बे में एक टेलीफोन केन्द्र कार्यरत है, जिसके तहत वर्तमान में लगभग 3300 टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं। कस्बे में मोबाइलधारकों की संख्या लगभग 10,500 है। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग का व्यापक प्रबन्ध है। कस्बे में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय कार्यरत है। पुलिस थाना रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। तीन पुलिस चौकिया-मोतीगेट, आदर्श कालोनी तथा बस स्टेण्ड परिसर में कार्यरत हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के दो डाक बंगले सरकारी कर्मियों के ठहरने हेतु सुविधा प्रदान करते हैं। कस्बे में लगभग 20 प्राइवेट गेस्ट हाऊस भी हैं, जिनमें प्रमुख जे.के.गेस्ट हाऊस है। दो धर्मशालाएं भी यात्रियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करती हैं।

2.6(6) य जनोपयोगी सुविधाएं :

जनोपयोगी सुविधाओं के अन्तर्गत 25 एकड़ भूमि उपयोग में ली जा रही है जिसमें अजमेर विद्युत वितरण निगम ईदगाह के समीप 20 एकड़ भूमि तथा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग हेतु विभिन्न स्थलों पर 5 एकड़ भूमि पर कार्यालय टैंक, एवं पम्प हाउस बने हुए हैं।

2.6(6) य (i) जलापूर्ति :

निम्बाहेड़ा में जलापूर्ति जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा गम्भीरी बांध के निचले क्षेत्र में स्थित कुओं एवं कदमाली नदी में स्थित कुओं एवं ट्यूबवेल के जरिये की

जाती है। कस्बे में स्थित 34 ट्यूबवेल तथा 80 हेण्ड पम्प भी जलापूर्ति में सहयोग करते हैं। वर्तमान में तीन ओवरहेड टैंक द्वारा जलापूर्ति की जाती है। औसतन जलापूर्ति 37.30 लाख लीटर प्रतिदिन है, जो करीब 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत जल कनेक्शन तालिका-6 में दर्शाये गये हैं :

तालिका-6
जलापूर्ति, निम्बाहेड़ा-2009

क्र.सं.	उपयोग	जल कनेक्शन की संख्या
1	आवासीय	5367
2	व्यावसायिक	81
3	राजकीय	45
4	औद्योगिक	4
5	अन्य	89
	योग	5586

स्रोत : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.6(6)य (ii) जलमल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :

निम्बाहेड़ा कस्बे में वर्तमान में सीवरेज तथा ड्रेनेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण गन्दगी का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। सेप्टिक टैंक व सोकपिट कम हैं। अतः कस्बे की खुली नालियों में ही जल मल निकासी की व्यवस्था है। इससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण बिमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। नालियों द्वारा बहाकर ले जाया जाने वाला दूषित व गन्दा मलबा बह कर नदी में पहुंचता है एवं इस व्यवस्था के कारण नदी का पानी प्रदूषित होता रहता है।

2.6 (6)य (iii) विद्युत :

कस्बे में विद्युत व्यवस्था के रख रखाव और विद्युत वितरण का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा संचालित किया जाता है। कस्बे में तीन ग्रिड स्टेशन यथा दशहरा मैदान, वेलकम चौराहा तथा रीको क्षेत्र में स्थित हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 10 एम.वी.ए., 5 एम.वी.ए. तथा 8.15 एम.वी.ए. है। वर्ष 2009 में निम्बाहेड़ा में विभिन्न उपयोगों में विद्युत कनेक्शन तथा विद्युत उपयोग तालिका सं.7 में दर्शाया गया है :-

तालिका -7
विद्युत कनेक्शन तथा उपभोग, निम्बाहेड़ा-2009

क्र.सं.	उपयोग	विद्युत कनेक्शन की संख्या	प्रतिशत	विद्युत उपयोग (यूनिट लाखों में)	प्रतिशत
1	घरेलु	6380	67.16	68.20	2.90
2	व्यावसायिक	2240	23.58	34.15	1.45
3	लघु उद्योग	315	3.32	13.64	0.58
4	कृषि	373	3.92	2.90	0.13
5	सड़क विद्युतिकरण	17	0.18	5.80	0.25
6	जलप्रदाय	55	0.58	15.29	0.64
7	एच.टी.	05	0.06	2159.20	91.66
8	एम.आई.पी.	100	1.05	53.34	2.26
9	मिश्रित	14	0.15	3.15	0.13
	योग	9499	100.00	2355.67	100.00

स्रोत : अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

2.6(6)र श्मशान एवं कब्रिस्तान :

निम्बाहेड़ा में वर्तमान में पांच श्मशान यथा— रेलवे फॉटक के पास, ईशाकपुरा, कासोद, नाथों का श्मशान तथा भाबियों का श्मशान है। कस्बे में तीन कब्रिस्तान—रेलवे पुलिया के पास, घोड़ादेह बाबा के पास तथा बोहरा कब्रिस्तान (घोड़ादेह बाबा रोड पर) स्थित है।

2.6 (7) परिसंचरण :

2.6(7)अ यातायात व्यवस्था :

निम्बाहेड़ा कस्बा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा मन्दसौर कस्बों से सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। ब्राडगेज रेलवे लाइन से चित्तौड़गढ़ एवं रतलाम से जुड़ा होने से इस कस्बे का सम्पर्क सम्पूर्ण भारत के सभी नगरों से हो गया है। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 (चित्तौड़गढ़—इन्दौर) इस कस्बे से गुजर रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 (निम्बाहेड़ा—दाहोद) तथा प्रमुख जिला मार्ग सं. 11ए (निम्बाहेड़ा—मंगलवाड) इसी कस्बे से शुरू होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 का बाईपास वर्तमान कस्बे के पश्चिम से गुजर रहा है जो चित्तौड़गढ़ रोड पर जे.के. सीमेन्ट उद्योग के उत्तर से अलग होकर पश्चिम में मंगलवाड़ रोड तथा दक्षिण में बांसवाड़ा रोड को क्रॉस करता हुआ नीमच रोड पर मिलता है। पुराने कस्बे की सड़के संकड़ी तथा टेढ़ी—मेढ़ी है, जिन पर अत्याधिक भीड़ रहती है। कस्बे में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहनों की पार्किंग छोटी—बड़ी सभी सड़कों पर होती है, जिससे यातायात में अधिकांशतः व्यवधान होता है। जे.के. सीमेन्ट वर्क्स के पास ट्रकों का जमावड़ा हर समय बना रहता है।

2.6(7)ब बस व ट्रक टर्मिनल :

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अम्बेडकर बस स्टेण्ड कस्बे के मध्य में छोटी सादड़ी चौराहे पर स्थित है, जो आई.डी.एस.एम.टी. प्रोजेक्ट के तहत विकसित

किया गया है। विभिन्न मार्गों पर चलने वाली प्राइवेट बसें भी मुख्य रूप से इसी बस स्टेण्ड से संचालित होती हैं लेकिन यहां पर भी पर्याप्त स्थल तथा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ट्रान्सपोर्ट व्यवसायियों की समस्या के निराकरण हेतु नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. प्रोजेक्ट के तहत जे.के. सीमेन्ट वर्क्स के पास ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित करने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है, जिससे कस्बे में विभिन्न स्थलों पर कार्यरत ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय को एक सुनियोजित ट्रान्सपोर्ट नगर में स्थानान्तरित किया जा सके।

2.6(7) स रेलवे सेवा :

निम्बाहेड़ा कस्बा चित्तौड़गढ़—रतलाम ब्राडगेज रेलवे लाइन पर स्थित है, जिससे यह कस्बा देश के लगभग सभी बड़े नगरों से जुड़ गया है। इस कस्बे से सीमेन्ट एवं फर्शी पत्थर आसपास के शहरों को रेल द्वारा भेजा जाता है।

3

नियोजन की संकल्पना

नियोजन की संकल्पना

कस्बे तथा नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत होता है। वहां के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिपेक्ष में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहां एक ओर सुरक्षा की वजह से कस्बे का विकास संगठित (कॉम्पेक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराये रूप में बसने लग गयी हैं। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है, फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

निम्बाहेड़ा कस्बे की स्थापना प्रारम्भ में चारदीवारी की मजबूत सुरक्षा में की गयी थी। अब बाहरी इलाकों में अनेक विकास जैसे सिविल लाइन्स, बाजार, खेल मैदान, विद्यालय, कार्यालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं। कस्बे का नया विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाया है। इसके फलस्वरूप अन्य नगरों की भांति यहां भी यदृच्छ विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। अतः नगर के नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहां के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन-प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के सन्दर्भ में विचार करना अत्यन्त आसान हो जाता है और इस प्रकार एक सम्पूर्ण ढांचे

के सन्दर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अंतिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकांकी रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसमें भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। निम्बाहेड़ा नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गयी है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ :

अनुमान है कि आगामी दशकों में निम्बाहेड़ा उपखण्ड मुख्यालय एवं पृष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने की वजह से यह प्रशासन, व्यापार एवं वाणिज्य, औद्योगिक और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा। चूना एवं

फर्शी पत्थर आदि समृद्ध खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण यह नगर आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को आकर्षित करता रहेगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :

निम्बाहेड़ा कस्बे की बढ़ती जनसंख्या व विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विकास के मद्देनजर भू-उपयोग के अनुरूप भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके। उपरोक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं –

1. निम्बाहेड़ा कस्बे में स्थित खाली भूमि पर अतिक्रमण तथा बेतरतीब विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः इन सभी का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक और सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए। विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि नगर की विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामन्जस्य स्थापित रहे।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। कस्बे के समीप प्रदूषण जनित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। ताकि कस्बे के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4. निम्बाहेड़ा के भीतर स्थित क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
5. संकड़ी सड़कों पर भारी यातायात को कम करने और अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, के थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जानी चाहिए।
6. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
7. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाये कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू-उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिये बाह्य व उप मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जावें।
8. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के बेतरतीब विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थानीय सीमाओं के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाये। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।
9. इस कस्बे की प्रमुख कदमाली व निम्बा नदी के दोनों तरफ खुले क्षेत्र हेतु भूमि रखी जाये, जिससे नदी में बाढ़ आने पर मिट्टी का कटाव एवं जनहानि को रोका जा सके।

10. नियोजित औद्योगिक क्षेत्र, अन्य भू-उपयोगों के साथ सन्तुलित एवं समुचित इलाकों में प्रस्तावित किये जावें तथा उद्योगों के नजदीक ही औद्योगिक श्रमिकों के लिए अवासीय बस्तियां प्रस्तावित की जावें ताकि कच्ची बस्तियों और अतिक्रमणों की समस्याओं को हल किया जा सके। नगरीय क्षेत्र में वृहत् उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति भी नहीं दी जानी चाहिए।

4

भावी आकार

4 भावी आकार

4.1 जनांकिकी :

वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार निम्बाहेड़ा कस्बे की जनसंख्या 10,585 थी। पिछले दशकों में कस्बे की सर्वाधिक वृद्धि दर 67.83 प्रतिशत 1971-81 के दशक में दर्ज की गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि इस योजना अवधि में निम्बाहेड़ा का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक इस कस्बे की जनसंख्या 1,19,160 तक पहुंचने के अनुमान हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि और अप्रवास को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 1951 से 2031 तक के लिए जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका-8 में दर्शाया गया है -

तालिका - 8
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, निम्बाहेड़ा 1951-2031

क्रम संख्या	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1.	1951	10585	-	-
2.	1961	11655	+ 1070	+ 10.11
3.	1971	16542	+ 4887	+ 41.93
4.	1981	27,763	+ 11,221	+ 67.83
5.	1991	41,921	+ 14,158	+ 51.00
6.	2001	53,327	+ 11,406	+ 27.20
7.	2009*	67,157	+ 13,830	+ 25.30
8.	2011*	71,333	+ 4076	+ 5.71
9.	2021*	90,828	+ 19,495	+ 21.46
10.	2031*	1,19,160	+ 28,332	+ 23.78

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं नगर नियोजन विभाग के अनुमान।*

कस्बे में चल रही सरकार/पालिका स्तर के विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील योजनाओं जैसे स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आदि के क्रियान्वयन एवं औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास के कारण नगर से हो रहे बाह्य प्रवास पर अंकुश लगेगा तथा कस्बे की जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि होगी।

4.2 व्यावसायिक संरचना :

वर्ष 1991 में निम्बाहेड़ा कस्बे में सहभागिता अनुपात 29.04 प्रतिशत था, जो वर्ष 2009 में 29.90 प्रतिशत रहा। क्षितिज वर्ष 2031 में नगर की व्यावसायिक संरचना का भविष्य की आर्थिक संभावनाओं और भूतकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर आंकलन किया गया है। अतः क्षितिज वर्ष तक कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 32.46 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। वर्ष 2009 में 20,079 श्रमिकों की तुलना में वर्ष 2031 में 38,676 श्रमिक होने का अनुमान है। अन्य सेवाओं के विकास और उद्योगों के विकास के सम्मिलित प्रभाव से व्यापार और वाणिज्य इस नगर की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त निम्बाहेड़ा एक औद्योगिक एवं प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अच्छी सम्भावनाएँ बनी रहेगी। वर्ष 2031 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका-9 में दर्शाया गया है –

तालिका-9

प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना, निम्बाहेड़ा 1991-2031

क्र.सं.	व्यवसाय	वर्ष 1991		वर्ष 2009*		वर्ष 2031*	
		कामगारों की संख्या	प्रतिशत	कामगारों की संख्या	प्रतिशत	कामगारों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएँ	2215	18.19	3159	15.73	4641	12.00
2.	उद्योग	3637	29.87	6068	30.22	12376	32.00
3.	निर्माण कार्य	623	5.12	1205	6.00	2514	6.50
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	2535	20.82	4217	21.00	8315	21.50
5.	परिवहन एवं संचार	919	7.55	1528	7.61	3095	8.00
6.	अन्य सेवायें	2246	18.45	3903	19.44	7735	20.00
	योग	12175	100	20079	100	38676	100
	सहभागिता अनुपात	29.04		30.00		32.46	

स्रोत : नगर नियोजन विभाग का अनुमान।*

4.3 नगरीय क्षेत्र :

निम्बाहेड़ा कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा सहित उन्नीस राजस्व ग्रामों को निम्बाहेड़ा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 19512 एकड़ है। इसमें नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं इसके चारों ओर अनियोजित विकास को नियोजित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 19 राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट-2 पर दी गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :

अनुमान है कि वर्ष 2009 की 67,157 जनसंख्या की तुलना में 2031 में निम्बाहेड़ा की जनसंख्या बढ़कर 1,19,160 हो जाएगी। इस प्रकार नियोजन अवधि में इस कस्बे में 52,003 व्यक्ति बढ़ जायेंगे एवं प्रतिवर्ष लगभग 2,261 अतिरिक्त व्यक्ति जनसंख्या में जुड़ते जायेंगे। अतः व्यक्तियों के लिए रहने, कार्य करने और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि भविष्य में कस्बे का विकास मुख्यतः चित्तौड़, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जाने वाली सड़कों के साथ होगा। निम्बाहेड़ा के नगरीय क्षेत्र की संभावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 6203 एकड़ भूमि नगरीयकरण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गई है। नगर नियोजन के वांछित मानदण्डों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मुख्य कार्य/उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि संभावित जनसंख्या को उचित आधार पर बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ने हेतु विभिन्न उपयोगों की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र :

सुधार एवं भावी विकास के उद्देश्य से निम्बाहेड़ा नगरीय क्षेत्र को चार योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ऐसा प्रस्ताव करते वक्त विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मुख्य लक्षणों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके पारस्परिक संबंध आदि तथ्यों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। रोजगार, आवास, बाजार, मनोरंजन तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रत्येक योजना क्षेत्र आत्मनिर्भर इकाई के रूप में होगा। इन योजना क्षेत्रों को तालिका-10 में दर्शाया गया है –

तालिका – 10

योजना क्षेत्र, निम्बाहेड़ा-2031

क्र.सं.	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ-	पुराना शहर योजना क्षेत्र	1410	26200
ब-	कॉलेज एवं जे.के. सीमेण्ट वर्क्स योजना क्षेत्र	2733	52200
स-	कासोद योजना क्षेत्र	2028	38800
द-	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	13341	—
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	19512	—

स्रोत : नगर नियोजन विभाग का आंकलन।

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। राजस्व सीमाओं, वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 2031 तक प्रस्तावित विकास की सीमाओं को भी यह मानचित्र दर्शाता है। इस मानचित्र में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट किया गया है, जो 19 राजस्व गांवों को मिलाकर बनाया गया है।

अ- पुराना शहर योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में प्रमुख रूप से पुराना शहर, आदर्श कॉलोनी, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, बस स्टेण्ड, दशहरा मेला ग्राउण्ड, जे.के. सीमेण्ट कॉलोनी तथा रेलवे स्टेशन आदि सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1410 एकड़ है, इसमें लगभग 26200 जनसंख्या निवास करेगी।

ब- महाविद्यालय व जे.के. सीमेन्ट वर्क्स योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में प्रमुख रूप से जे.के. सीमेन्ट वर्क्स, राजकीय महाविद्यालय, नई आवासीय योजना (IDSMT) आदि सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2733 एकड़ हैं। इसमें लगभग 52200 जनसंख्या निवास करेगी।

स- कासोद योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में प्रमुख रूप से रीको औद्योगिक क्षेत्र, राजकीय चिकित्सालय, कृषि उपज मण्डी स्टेट वेयर हाउसिंग गोदाम कासोद गाँव की आबादी आदि सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2028 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में 38800 जनसंख्या निवास करेगी।

द- परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र :

उपरोक्त तीनों योजना क्षेत्रों एवं नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियंत्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे गिट्टी क्रशर, ईट एवं चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। कस्बे के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम महत्व रहेगा। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13341 एकड़ है।

5

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना

निम्बाहेड़ा कस्बे का मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की पद्धति, विस्तार की दिशा व बाध्यताएं, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता के मध्येनजर कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है तथा प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में उद्धृत किया गया है। निम्बाहेड़ा कस्बे के मास्टर प्लान का उद्देश्य अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में संतुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास को दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू-उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया-कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास के लिए माध्यम होगी।

क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मदवार भू-उपयोग हेतु उपयुक्त घनत्व के मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल आंकलित किया है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 5337 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गई है। फलस्वरूप कस्बा स्तर का घनत्व 22 व्यक्ति प्रति एकड़ आंकलित किया गया है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र के 42.33 प्रतिशत आवासीय, 6.22 प्रतिशत वाणिज्यिक, 10.77 प्रतिशत औद्योगिक, 1.69 प्रतिशत सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, 9.95 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 6.93 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 22.11 प्रतिशत परिसंचरण प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में 5337 एकड़ कुल विकास योग्य क्षेत्र, 155 एकड़ राजकीय आरक्षित, 330 एकड़ वृक्षारोपण तथा 381 एकड़

जलाशय-नदी, नाले आदि को सम्मिलित करते हुए कुल 6203 एकड़ भूमि सम्मिलित की गई है, जिसे तालिका - 11 में दर्शाया गया है।

तालिका - 11

प्रस्तावित भू-उपयोग, निम्बाहेड़ा - 2031

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित कुल विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	प्रस्तावित कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	2259	42.33	36.42
2	वाणिज्यिक	332	6.22	5.35
3	औद्योगिक	575	10.77	9.27
4	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	90	1.69	1.45
5	आमोद-प्रमोद	370	6.93	5.97
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	531	9.95	8.56
7	परिसंचरण	1180	22.11	19.02
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	5337	100.00	86.04
8	सरकारी आरक्षित	155	—	2.50
8	पौधशाला	330	—	5.32
10	जलाशय, नदी एवं नाले	381	—	6.14
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	6203	—	100.00

स्रोत : नगर नियोजन विभाग का आंकलन।

5.1 आवासीय

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जिनमें सबसे छोटी इकाई को भारतीय परिवेश में मोहल्ला कहा जाता है। ऐसे मोहल्लों में सामान्यतः 50–100 परिवार निवास करते हैं। इन मोहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मोहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000–2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार की चार से पांच योजना इकाईयां मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जावेगा। इस प्रकार निम्बाहेड़ा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 1,19,160 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाएँ बनाकर किया जायेगा। आवासीय उपयोग हेतु 2259 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 42.33 प्रतिशत है।

कस्बे में प्रस्तावित विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में विषमताओं में संतुलन बनाने के उद्देश्य से आवासीय घनत्व को तीन श्रेणियों में प्रस्तावित किया गया है यथा 50 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम, 50–100 और 100 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड़। भू-उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के पास कार्य केन्द्र प्रस्तावित है। पुराने शहर के

भीतर की आबादी का औसत 150 व्यक्ति प्रति एकड़ का उच्चतम घनत्व बना रहेगा। 100 से कम व्यक्ति प्रति एकड़ का न्यूनतम घनत्व पुराने शहर के बाहरी क्षेत्र जो कि विकसित क्षेत्र के पास हैं, के लिए प्रस्तावित किया गया है। सामान्यतया नये आवासीय क्षेत्रों को लगभग 50 व्यक्ति प्रति एकड़ के औसत घनत्व के आधार पर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। क्षितिज वर्ष 2031 तक प्रस्तावित 1,19,160 जनसंख्या के लिए भू-उपयोग योजना में 2259 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है। कॉटन जिनिंग फेक्ट्री काफी समय से बन्द पड़ी है। इसे असंबद्ध भू-उपयोग (Non confirming land use) मानते हुए आवासीय प्रस्तावित किया गया है।

नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए उदयपुर व चित्तौड़गढ़ रोड़ के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। चित्तौड़गढ़ रोड़ पर राजकीय कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएँ एवं सामुदायिक केन्द्र प्रस्तावित करते हुए यहीं पर चिकित्सा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए स्थल प्रस्तावित किये गये है, तथा व्यावसायिक महाविद्यालय (Professional College), स्टेडियम, बस स्टेण्ड आदि के भी प्रस्ताव दिये गये हैं। यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में ही आवासीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

5.2 वाणिज्यिक :

अपने पृष्ठक्षेत्र के लिए निम्बाहेड़ा वाणिज्यिक और व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक कस्बे के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में लगभग 8315 श्रमिक अर्थात् कुल श्रमिकों का 21.50 प्रतिशत नियोजित होने लगेगा। अतः इन सुविधाओं को ऐसे युक्तिसंगत ढांचे में बांटा जाना वांछित है, जिससे आवासीय क्षेत्रों से नगर केन्द्र तक यातायात न्यूनतम किया जा सके। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक पदानुक्रमी रूप में वाणिज्यिक क्रियाओं को प्रस्तावित किया है।

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र 332 एकड़ है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 6.22 प्रतिशत होगा। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस सेन्टर, डाकघर, सामुदायिक भवन तथा स्थानीय उपयोग की दुकानें, सर्विस सेन्टर, आटा चक्की इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। तीन स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान किया गया है। तालिका-12 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है –

तालिका – 12

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, निम्बाहेड़ा – 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	शहरी केन्द्र	95.00 एकड़
2.	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (LSC) 1- जे.के. कॉलोनी के समीप 2- चित्तौड़-नीमच बाईपास, नई आवासीय योजना (IDSMT) 3- उदयपुर रोड पर	20.00 एकड़ 20.00 एकड़ 20.00 एकड़
3.	थोक बाजार (छोटी सादड़ी रोड पर)	55.00 एकड़
4.	गोदाम एवं भण्डारण अ- रेलवे स्टेशन के पूर्व में गोदाम व भण्डारण ब- छोटी सादड़ी रोड पर गोदाम व भण्डारण स- कृषि मण्डी के समीप वर्तमान में स्थित गोदाम एवं भण्डारण	85.00 एकड़ 25.00 एकड़ 15.00 एकड़
	कुल योग	330.00 एकड़

5.2 (1) शहरी केन्द्र :

निम्बाहेड़ा कस्बे के आन्तरिक भाग एवं प्रमुख मार्ग पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियां निम्बाहेड़ा के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य आधार है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की संभावना नहीं है। अतः यह क्षेत्र पुराने शहर के एक मुख्य शहरी केन्द्र के रूप में अपनी सेवायें प्रदान करता रहेगा तथा शहर का मुख्य खुदरा एवं थोक वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में यथावत बना रहेगा। जिनमें मुख्यतया मोती बाजार, शास्त्री सर्कल, नया बाजार, स्टेशन रोड़, शेखावत सर्कल, बस स्टेण्ड बाजार एवं सब्जी मण्डी आदि हैं। इस प्रकार इसके अन्तर्गत 95 एकड़ भूमि वाणिज्यिक उपयोग में ली जानी प्रस्तावित है।

5.2 (2) स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (एल.एस.सी.) :

वाणिज्यिक क्रियाओं का विकेन्द्रीयकरण करने एवं भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 60 एकड़ क्षेत्र में तीन वाणिज्यिक केन्द्र विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका विवरण तालिका – 12 में दर्शाया गया है। ये प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक व्यापार की दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालयों, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधायें प्रदान की जायेगी। इससे नागरिकों को शहरी केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5.2 (3) थोक व्यापार :

कस्बे में कृषि उत्पादों एवं फल-सब्जी, तथा लोहा, लकड़ी एवं भवन सामग्री इत्यादि के थोक व्यापार के बाजारों की स्थापना हेतु संभावित मांग को पूरा करने की दृष्टि से 55 एकड़ भूमि छोटी सादडी रोड़ पर प्रस्तावित की गयी हैं। इसमें अनाज, दालें, फल एवं सब्जी बाजार एवं अन्य थोक बाजार के लिए भूमि प्रस्तावित की गयी है। यह प्रस्ताव वस्तुओं के लदान के विस्तृत पैमाने पर एवं भारी यातायात के कुशल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

5.2 (4) गोदाम एवं भण्डारण :

कस्बे की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्तर की वर्तमान एवं भावी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण एवं गोदाम के प्रावधान हेतु उपयुक्त स्थल का निर्धारण किया गया है। भू-उपयोग योजना में रेलवे स्टेशन के समीप पूर्व दिशा में 85 एकड़, छोटी सादड़ी रोड पर ट्रक स्टेण्ड की पूर्वी दिशा में बाईपास के साथ 25 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त शहर में कृषि उपज मण्डी के दक्षिण दिशा में विद्यमान गोदाम एवं भण्डारण हेतु 15 एकड़ का स्थल कार्यरत है। जिसमें औद्योगिक वस्तुओं, अनाज, दालें, फल एवं सब्जी के भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

5.3 औद्योगिक :

निम्बाहेड़ा नगर में बड़ी संख्या में पिछले दशको में लघु, मध्यम एवं वृहद् स्तर के उद्योगों की स्थापना हुई है। रीको द्वारा भी अपने औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया गया है। इस नगर के ब्रोडगेज रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर स्थित होने तथा औद्योगिक विकास हेतु प्रदत्त विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के कारण विकास की यह प्रवृत्ति आगामी वर्षों में भी जारी रहने की सम्भावना है। अधिकांश औद्योगिक इकाइयां शहर में प्रकीर्ण तथा यद्दश्य तरीके से स्थापित की गई हैं। छोटी सादड़ी रोड पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र भी पूर्ण विकसित हो चुका है। वर्ष 2001 में 4720 श्रमिकों की तुलना में सन् 2031 में निम्बाहेड़ा शहर की श्रम शक्ति का प्रतिशत लगभग 32 प्रतिशत अर्थात् अनुमानतः 12376 श्रमिक विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत होंगे।

प्रकीर्ण औद्योगिक इकाइयां, सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं तथा अवसंरचना के अनुकूलतम लाभ तब ही प्राप्त कर सकती हैं जब उन्हें नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में

स्थानान्तरित कर दिया जावे। अनेक औद्योगिक इकाइयां जो यद्श्च (HAPHAZARD) तरीके से नगर के विभिन्न भागों में स्थापित की जा चुकी है। इन्हें नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव किया गया है। छोटी सादडी रोड पर कासोद गाँव के पास 113 एकड़ में फैला रीको औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयों से पूर्णतया भरा हुआ (Occupied) है।

उक्त क्षेत्र के लगते हुए क्षेत्र में 337 एकड़ भूमि पर भावी औद्योगिक विस्तार हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं। औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से यह स्थल सर्वाधिक उपयुक्त तथा पर्याप्त होगा। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि सहायक औद्योगिक इकाइयों को इस प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जावे। अतः इस हेतु 575 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है।

वर्तमान जे.के. सीमेन्ट वर्क्स के आगे विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उद्योग नगरीय क्षेत्र से अत्यधिक निकट होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करेगा। भविष्य में स्थापित होने वाले वृहत् उद्योगों को अधिसूचित नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थापित किये जाने के प्रस्ताव हैं।

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय :

भविष्य में भी यह कस्बा प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा। अतः भू-उपयोग प्रस्तावों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध करवाये गये हैं। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में कार्यरत हैं। चित्तोड़गढ़ व छोटी सादडी रोड पर राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कस्बे में विद्यमान एवं

प्रस्तावित 90 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 1.69 प्रतिशत होगा।

5.4 (2) राजकीय आरक्षित :

इस प्रयोजनार्थ बड़ोली-माधोसिंह जाने वाले ग्रामीण मार्ग के दक्षिण में 80 एकड़ भूमि सबजेल हेतु प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में सबजेल पुराने शहर में स्थित है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार शहर के भीतर स्थित जेलों को बाहर स्थानान्तरित किए जाने की नीति के अनुसरण में यह प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा साकरिया गांव के समीप 75 एकड़ राजकीय बिलानाम भूमि पर केन्द्रीय सरकार एवं दूरसंचार विभाग आदि के लिए भी भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.5 आमोद-प्रमोद :

5.5 (1) उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम :

उद्यान एवं खुले स्थान सामान्यतया कस्बे के पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यान, खुले स्थान, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिए। स्थानीय स्तर एवं नगर स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना का मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खुला क्षेत्र/उद्यान हेतु नवीन स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। जिसमें 30 एकड़ का एक उद्यान बड़ोली-माधोसिंह सड़क के उत्तर में तथा दूसरा उद्यान प्रस्तावित चिकित्सालय के पश्चिम में 35 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जायेगा। पर्यावरण की दृष्टि से निम्बा नदी व नालों के आसपास संरक्षण

हेतु खुली पट्टी प्रस्तावित की गई है। आमोद-प्रमोद हेतु कुल 370 एकड़ भूमि का प्रावधान है।

5.5 (2) अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन :

क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना का अभिन्न अंग है। इन सुविधाओं की आमोद-प्रमोद के साथ शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर योजना बनाते समय स्थल प्रस्तावित किये जायेंगे।

5.5 (3) मेले/पर्यटन सुविधाएँ :

चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित होने वाले मेलों में सबसे बड़ा दशहरा मेला निम्बाहेड़ा में आयोजित होता है। जो अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकम से दशमी तक चलता है। जिसमें निम्बाहेड़ा एवं आसपास के क्षेत्र के निवासी भाग लेते हैं। दशहरा मेला ग्राउण्ड हेतु वर्तमान में 20 एकड़ भूमि उपलब्ध है। जिसे बढ़ाकर 175 एकड़ भूमि के प्रस्ताव दिये गये हैं। इस मेला ग्राउण्ड में दशहरा मेला के अतिरिक्त उद्योग मेला, खादी मेला एवं अन्य मेलें आयोजित किये जाने के साथ-साथ खेल के मैदान इत्यादि गतिविधियां भी संचालित होती रहेगी।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ :

कस्बे का एकीकृत विकास करने तथा नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक, मनोरंजन, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त

प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर के सुझाव दिये गये हैं। इस भू-उपयोग हेतु 531 एकड़ भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 9.95 प्रतिशत है।

5.6 (1) शैक्षणिक सुविधाएँ :

अध्ययन के लिए निम्बाहेड़ा कस्बा अपने पृष्ठ क्षेत्र का एक प्रमुख केन्द्र हैं। प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 75 एकड़ भूमि आईडीएसएमटी आवासीय योजना के दक्षिण में एवं इसी योजना के उत्तर पूर्व दिशा में 60 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें पोलिटेक्निक एवं अन्य तकनीकी संस्थान स्थापित किये जा सकेंगे। कस्बे में महाविद्यालय के लिये 40 एकड़ भूमि के प्रस्ताव दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त सीनियर सैकण्डरी विद्यालय के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की गई है।

निम्बाहेड़ा में वर्ष 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1,19,160 व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या आंकलित की गई है, साथ ही पुरानी आबादी क्षेत्र में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2031 की प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना को तालिका-13 में दर्शाया गया है –

प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, निम्बाहेड़ा – 2031

क्र. सं.	कक्षा / स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य बालक/ बालिकाओं की संख्या	विद्यालयों में जाने वाले छात्रों का संभावित प्रतिशत	छात्रों की संख्या	अतिरिक्त विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	6-10	17600	95.00	16720	25
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	11-13	15236	85.00	25843	10
3.	माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय (9-12)	14-17	10655			

स्रोत : नगर नियोजन विभाग के अनुमान।

5.6 (2) चिकित्सा सुविधाएँ :

निम्बाहेड़ा में चिकित्सा सुविधा क्षेत्र में मंगलवाड़ रोड पर सामान्य चिकित्सालय कार्यरत है। इसमें 100 शैय्याओं की सुविधा है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी औषधालय भी हैं। कस्बे की अनुमानित जनसंख्या के मद्देनजर चिकित्सा सुविधा हेतु चित्तोड़ रोड एवं बाईपास के मध्य 45 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा छोटीसादड़ी रोड पर पशु चिकित्सालय हेतु 35 एकड़ भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त आवासीय क्षेत्रों में भी औषधालयों की आवश्यकता होगी, जिनका उस क्षेत्र की विस्तृत योजना बनाते समय प्रावधान कर दिया जायेगा।

5.6 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक :

सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए मास्टर प्लान क्रियान्वयन के समय सेक्टर प्लान बनाते समय प्रत्येक आवासीय सेक्टर में प्रस्तावित

अन्य सामुदायिक केन्द्र में इन सामाजिक/सांस्कृतिक भवनों के लिए पर्याप्त भूमि के प्रावधान रखे जायेंगे। जिससे इन स्थलों में विभिन्न वर्गों के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेगा।

5.6 (4) धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल :

कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक भवन जैसे मोती गेट, चित्तौड़ी दरवाजा को सुरक्षित रखने हेतु उचित संरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। नगर में स्थित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का संरक्षण देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :

कस्बे में पुलिस स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, अग्निशमन केन्द्र आदि सुविधाओं के लिए भू-उपयोग योजना 2031 में विद्यमान बाईपास रोड पर 20 एकड़ तथा प्रस्तावित चिकित्सालय के उत्तर दिशा में 40 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा नगर में छोटी सादड़ी बाईपास रोड के पश्चिम में 35 एकड़ भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं। इन सुविधाओं के लिए कुल 95 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

5.6 (6) जनोपयोगी सुविधाएँ :

पीने योग्य जल की आपूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जावे। जनोपयोगी सुविधाओं के लिए चित्तौड़गढ़ बाईपास जक्शन पर 35 एकड़ भूमि, बड़ोली मार्ग पर 30 एकड़ भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं।

5.6 (6) अ जलापूर्ति :

वर्तमान में कस्बे में उपलब्ध जलसंचय क्षमता और सभी उपलब्ध पेयजल स्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है। अतः पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवेलों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार करके पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जहां कहीं भी सम्भावनाएँ विद्यमान हों, वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। कस्बे की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भू-उपयोग योजना में किये गये प्रस्तावों के अनुरूप जल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत पेयजल योजना तैयार करें।

5.6 (6) ब जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :

राज्य के अधिकांश कस्बों की भांति निम्बाहेड़ा में भी उपयुक्त जल-मल निस्तारण व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में कस्बे में खुली नालियां हैं, जिनमें जल-मल प्रवाह होता है। अतः जल-मल निस्तारण व्यवस्था का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। यह सुझाव है कि सामान्य ढलान को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र से बाहर एक जल-मल निस्तारण स्थल स्थापित किया जाय। नगरपालिका कस्बे में ठोस कचरे के संग्रहण एवं निस्तारण हेतु विस्तृत प्रबन्ध योजना तैयार करे।

5.6 (6) स विद्युत :

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस कस्बे

को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इसकी भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में स्थित कब्रिस्तानों तथा शवदाह स्थलों को अपने वर्तमान स्थलों पर ही बनाये रखने का प्रस्ताव है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में आवश्यकतानुसार श्मशान एवं कब्रिस्तान परिधि नियंत्रण पट्टी में प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

5.7 परिसंचरण :

यह कस्बा अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र का काम करता रहेगा और यहां पर उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसी आर्थिक क्रियाएँ विकसित हो जायेगी। अतः कस्बे के लिए अपने प्रदेश से वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक प्रभावशील अनुवर्ती क्रम में मार्गों की व्यवस्था की आवश्यकता है।

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना :

कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगमता से संचालन हेतु विभिन्न स्तर के मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। जिन्हें तालिका-14 में दर्शाया गया है।

तालिका – 14

प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, निम्बाहेड़ा – 2031

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (चौड़ाई फीट में)	लगभग प्रस्तावित लम्बाई कि.मी. में
1	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 बाईपास	200	8.50
2	आईडीएसएमटी आवासीय योजना के उत्तरी छोर से रानी खेड़ा जक्शन तक बाह्य मार्ग (प्रस्तावित)	200	5.75
3	कृषि उपज मण्डी चौराहा से छोटी सादड़ी रोड़ पर वेयर हाउसिंग गोदाम के पास नाले तक	120	1.25
4	वेयर हाउसिंग गोदाम के पास नाले से बाईपास तक	160	2.00
5	चित्तौड़गढ़ रोड़ बाईपास जक्शन से जे.के. सीमेण्ट वर्क्स तिराहा तक	160	2.20
6	जे.के. सीमेण्ट वर्क्स तिराहा से उदयपुर रोड़ तक	120	2.00
7	कृषि उपज मण्डी चौराहा से विद्यमान बाईपास (उदयपुर रोड़) तक	120	2.75
8	विद्यमान बाईपास चौराहा (उदयपुर रोड़) से बाह्यी मार्ग चौराहा तक	160	0.80
9	जे.के. सीमेण्ट वर्क्स तिराहा से 0 माईल स्टोन तक	120	2.00
10	उदयपुर रोड़ पर जी.एस.एस. से छोटी सादड़ी रोड़ तक (विद्यमान सड़क)	160	2.50
11	चित्तौड़गढ़ रोड़ पर कॉलेज के उत्तरी कोने से प्रस्तावित बाह्यी मार्ग तक	100	2.25
12	रानीखेड़ा विद्यमान सड़क	100	1.25

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (चौड़ाई फीट में)	लगभग प्रस्तावित लम्बाई कि.मी. में
13	जे.के सीमेण्ट वर्क्स तिराहा से आई.डी.एस. एम.टी. आवासीय योजना तक प्रस्तावित सड़क	100	1.40
14	ईशाकपुरा के उत्तरी छोर से बाईपास तक प्रस्तावित सड़क	120	2.50
15	आई.डी.एस.एम.टी. आवासीय योजना से चित्तौड़गढ़ रोड़ पर ट्रासपोर्ट नगर तक प्रस्तावित सड़क	80	1.30
16	आई.डी.एस.एम.टी. आवासीय योजना चित्तौड़गढ़ रोड़ पर राजकीय कार्यालय हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक प्रस्तावित सड़क	80	1.25
17	चित्तौड़-नीमच बाईपास से पुराने बाईपास छोटी सादड़ी सड़क से दशहरा मेला ग्राउण्ड तक प्रस्तावित सड़क	100	3.00
18	रेलवे क्रासिंग (दक्षिण) से बाईपास तक प्रस्तावित सड़क	120	3.00
19	रेलवे क्रासिंग (दक्षिण) रेलवे लाईन के पूर्व दिशा में लाईन के सहारे-सहारे चित्तौड़गढ़ रोड़ तक प्रस्तावित सड़क	120	5.50
20	दशहरा मेला ग्राउण्ड से बाईपास तक विद्यमान सड़क	100	2.750
21	रेलवे क्रासिंग (दक्षिण) से बाईपास (नीमच रोड़) तक विद्यमान सड़क	120	3.00

5.7 (1) अ सड़कों का सुधार :

प्रस्तावित है कि सभी सार्वजनिक मार्ग जिन्हें प्रमुख, उप-प्रमुख और अन्य सड़कों के रूप में भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, यथासम्भव प्रस्तावित

चौड़ाई के होंगे किन्तु कुछ स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाना सम्भव नहीं है या सड़क चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े तथा अच्छी इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न चौड़ाई को भी अपनाया जा सकेगा। भविष्य में परिसंचरण प्लान के अनुरूप ही सड़कों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकतानुरूप बढ़ते यातायात के मध्येनजर यातायात योजना बनाकर लागू की जाये। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (चित्तौड़गढ़-नीमच रोड़) को 6 लेन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (छोटी सादड़ी रोड़) एवं निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ रोड़ को 4 लेन बनाया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (1) ब प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार :

कस्बे में विद्यमान मुख्य चौराहों का यथासम्भव सुधार एवं भू-उपयोग योजना में निम्नलिखित चौराहों का विकास प्रस्तावित है –

तालिका – 15

प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, निम्बाहेड़ा – 2031

क्र.सं.	चौराहा
1	उदयपुर रोड़ बाईपास चौराहा
2	उदयपुर बाह्य मार्ग पर (बाड़ोली माधोसिंह) प्रस्तावित चौराहा
3	हाउसिंग बोर्ड योजना में प्रस्तावित चौराहा
4	आई.डी.एस.एम.टी. आवासीय योजना के समीप प्रस्तावित चौराहा

5.7 (1) स फ्लाईओवर :

निम्बाहेड़ा से बाहर जाने वाली प्रमुख सड़कों के जक्शन पर यातायात को सुगम बनाने हेतु तीन फ्लाईओवर प्रस्तावित है। जिसमें उदयपुर रोड़ एवं बाहरी मार्ग के जक्शन पर, उदयपुर बाईपास एवं छोटी सादड़ी रोड़ जक्शन पर फ्लाईओवर तथा

अहीरपुरा के पास रेलवे लाईन के ऊपर रेल ओवर ब्रिज बनाये जाने के लिए प्रस्ताव रखे गये है।

5.7 (1) द पार्किंग व्यवस्था :

वाणिज्यिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग व्यवस्था का सुधार प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जायेगी जिससे निरन्तर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल :

निम्बाहेड़ा कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में बस स्टेण्ड स्थित है। जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन एवं निजी बसों का ठहराव होने से यह क्षेत्र अपर्याप्त है। अतः उदयपुर रोड़ पर 20 एकड़ भूमि नवीन बस स्टेण्ड एवं डिपो हेतु प्रस्तावित की गई है। कस्बे के भीतर भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने की दृष्टि से ट्रक स्टेण्ड स्थापित किये जाने हेतु शहर के बाहर जे.के. सीमेण्ट वर्क्स के पश्चिम में 100 एकड़ भूमि तथा छोटी सादड़ी रोड़ पर कासोद औद्योगिक क्षेत्र के समीप 60 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इन ट्रक स्टेण्ड में मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाइल दुकानें, वाहन स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी :

कस्बे में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। जिसका कुल क्षेत्रफल 13341 एकड़ है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन बनाये रखना है। कस्बे के बाह्य क्षेत्रों में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की तुलना में भूमि की कीमतें कम होती है जिसके फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र में Speculative विनिवेश

की दृष्टि से बाह्य क्षेत्र में भूमि क्रय कर अनियंत्रित एवं अनियोजित विकास की प्रवृत्ति बनी रहती है। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे गिट्टी क्रशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

6

**मास्टर प्लान
का क्रियान्वयन**

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

निम्बाहेड़ा कस्बे के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाये। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें एवं यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 प्रस्तावित आधार :

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि नगरपालिका निम्बाहेड़ा को भेजी जायेगी। इस प्रकार नगरपालिका, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि निम्बाहेड़ा के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जायेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका निम्बाहेड़ा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका निम्बाहेड़ा से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका निम्बाहेडा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजनाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की जानी प्रस्तावित हैं।

नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से वार्षिक एवं पंचवर्षीय परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका निम्बाहेडा का रहेगा। जबकि क्रियान्वयन निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, सदस्य अधिशाषी अभियन्ता, स्थानीय निकाय, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका निम्बाहेडा होंगे। जबकि इसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप नगर नियोजक होंगे। इस निगरानी समिति को अधिकार होगा कि वे समिति के विस्तार हेतु विषय विशेषज्ञों को सहयुक्त सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे। उक्त समिति की कम से कम तीन माह में एक बैठक आयोजित की जावेगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त दो सदस्यों की उपस्थिति बैठक की कोरम हेतु अनिवार्य होगी।

उक्त समिति द्वारा वर्ष में एक बार मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार के नगरीय विकास विभाग को भिजवाई जायेगी।

6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण

प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.3 भू-उपयोग एवं भूमि अवाप्ति :

निम्बाहेड़ा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना वर्ष 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति/सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालें, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा – शिक्षा, चिकित्सा, सड़के, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.4 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। निम्बाहेड़ा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और निम्बाहेड़ा को आवास की दृष्टि से स्थास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

6.5 क्रियान्वयन परियोजना :

निम्बाहेड़ा कस्बे के मास्टर प्लान में कस्बे के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी तेइस वर्षों (क्षितिज वर्ष 2031) तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के मध्येनजर स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी पच्चीस वर्षों के लिए पांच चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी व मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति नियोजित विकास की दृष्टि से करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

3- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6- मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत

मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F.4(32) LSG/A/59, dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :

RULES

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

(1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (i).

1[(1) The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust

concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.]²

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely :
 - (a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the town.
 - (b) Base Map showing the Generalized existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
 - (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
 - (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

- 3[(1) After considering the objections, suggestions and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same]⁴ if constituted to the State Government for approval.

- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".

-
1. Substituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123) TP/36, dated 24.2.1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj . Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.
 2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21.9.1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27.9.1979, page 339.
 3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) TP/63, dated 24.2.1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj . Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.
 4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27.10.1983 pub. in Raj . Gaz. 4 (Ga) (i) dated 16.2.84 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10 (9)नविआ/3/81

जयपुर, दिनांक : 31.7.2009

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ.10(9) नविआ/81 दिनांक 27.8.1981 को अतिक्रमित करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को निम्बाहेड़ा नगर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं –

क्र.सं.	गांव का नाम	
1.	निम्बाहेड़ा	NIMBAHERA
2.	करथाना	KARTHANA
3.	मण्डागुल फरोशान	MANDAGUL FAROSHAN
4.	कासोद	KASOD
5.	साकरिया	SAKARIYA
6.	इशाकपुरा	ISHAKPURA
7.	अहीरपुरा	AHEERPURA
8.	लक्ष्मीपुरा	LAXMIPURA
9.	बोराखेड़ी	BORAKHERI
10.	धीनवा	DHEENWA

11.	रानीखेड़ा	RANIKHERA
12.	बड़ोली माधोसिंह	BADOLI MADHOSINGH
13.	चांदखेड़ा	CHAND KHERA
14.	सेमल्या	SEMALYA (नाले के उत्तरी किनारे तक का क्षेत्र)
15.	आकिया	AAKIYA
16.	सिगरी	SIGRI
17.	जलिया	JALIYA
18.	कल्याणपुरा	KALYANPURA
19.	पीपलिया कलां	PEEPALIYA KALAN

राज्यपाल की आज्ञा से




(एस. ए. फारूकी)

शासन उप सचिव—द्वितीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

452
12/5/11



क्रमांक- प.10(9)नवि/3/81

जयपुर दिनांक:

-अधिसूचना-

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.07.2009 के द्वारा यथा अधिसूचित "निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

निम्बाहेडा मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका निम्बाहेडा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एन. एल. मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर-को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा।
8. रक्षित पत्रावली।

AC/PCW

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

DTP
CC/1
12-5-11